


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुलाब सिंह बनाम भूमिधारी राजस्थार सरकार अपील संख्या 19/2020(जीसीएमएस नम्बरा 2020/00351)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.04.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित उन्होने रेस्पोंडेन्ट के नोटिस पेश करने हेतु अवसर चाहा। हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि हस्तगत अपील वर्ष 2020 से न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन है जिसमें स्थगन आदेश भी दिया हुआ है किन्तु अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा बार-बार अवसर चाहे जाने के उपरान्त भी न्यायालय के आदेश की पालना में रेस्पोंडेन्ट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्त की ओर से न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में रेस्पोंडेन्ट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं करने के कारण अपीलार्थी की अपील खारिज किया जाना न्यायोचित होगा।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की ओर से न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में रेस्पोंडेन्ट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं करने के कारण अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ़तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (डॉ० प्रवीण कुमार) अति.समागीय आयुक्त जयपुर। </p>	